




केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
बहरमपुर - 742909, मुर्शिदाबाद जिला, (पश्चिम बंगाल)

Central Sericultural Research & Training Institute

[ISO 9001 : 2015 Certified]

CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India
Berhampore - 742101, Murshidabad Dist., West Bengal, India



सं.केरेबो/केरेउअवप्रस/हिंदी-3.1/2017-18/ 1540

दिनांक: 28.04.2017

1/5

सेवा में / To,

संस्थान तथा इसके अधीनस्थ केन्द्र के प्रमुखों व प्रभारी,

केरेउअवप्रस, बहरमपुर [प.बं.]।

विषय: संस्थान में दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 111वीं बैठक की कार्यवृत्त का अग्रेषण/ Forwardal of the Minutes of the 111th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 27th April, 2017.

महोदय/Sir,

कृपया संस्थान में दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 111वीं बैठक की कार्यवृत्त इसके साथ संलग्न पाएँ। अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर संबंधित अनुभाग कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ। Please find enclosed herewith minutes of the 111th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 27th April, 2017. Concern section may please ensure necessary action on the decisions taken in the meeting under intimation to the undersigned.

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित यदि आपका कोई सुझाव हो तो उसे संस्थान की अगली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए इस कार्यालय को अवश्य भेजें। Suggestion regarding progressive use of Official Language Hindi, if any, may please be sent to this office to incorporate it in the ensuing Official Language Implementation committee meeting.

कृपया इसकी प्राप्ति सूचना दें/Kindly acknowledge the receipt of the same.

संलग्न: यथोपरि

भवदीया/Yours faithfully

[डॉ. कनिका त्रिवेदी/ Dr. Kanika Trivedy]

निदेशक / Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

वैज्ञानिक-डी / उपनिदेशक(प्रवले) प्रभारी / सहायक निदेशक(कंप्यूटर) / वैज्ञानिक-सी / सहायक निदेशक(प्रवले) / प्रभारी:

1. स्थापना/ आं.ले.प/ लेखा/ आर.टी.आई/ एस.बी.जी/ जैव प्रौद्योगिकी/ पी.एम.सी.ई/ निदेशक कक्ष(प्रतिवेदक)/ कंप्यूटर/ कीट विज्ञान/ धागाकरण व कताई/ भंडार व क्रय/ शहतूत रोग निदान/ एम.बी.जी/ विस्तार व प्रचार/ अनुरक्षण व वाहन/ प्रशिक्षण/ पुस्तकालय/रेशम कीट रोग निदान/मोरी-1.
2. सहायक निदेशक [कंप्यू.], कंप्यूटर अनुभाग उक्त दस्तावेज को संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. वैज्ञानिक-डी/वैज्ञानिक-सी/क्षेत्रीय/अविके/अविके-उपडिवाइ/प्रभारी:
कोरापुट/कलिम्पोंग/जोरहाट/मोथाबाड़ी/कामनगर/महेशपुरराज/भंडरा
रंगपो/शिलांग/दीमापुर/आईजोल/अगरतल्ला/इम्फाल/देवगढ़।



केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
Central Sericultural Research & Training Institute
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India
बहरमपुर/Berhampore – 742101, मुर्शिदाबाद जिला/Murshidabad Dist.
पश्चिम बंगाल/ West Bengal, भारत/India



दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 111वीं बैठक की कार्यवृत्त। Minutes of the 111th meeting of the Official Language Implementation Committee held on 27.04.2017.

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर [प.ब.] की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 111वीं बैठक दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को संस्थान की निदेशक महोदया, डॉ. कणिका त्रिवेदी की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक - “क” में संलग्न है।

The 111th meeting of the Official Language Implementation Committee of Central Sericultural Research and Training Institute, Berhampore [W.B.] was held on 27.04.2017 under the chairmanship of the Dr. Kanika Trivedy, Director of this Institute at 11.00 a.m. in the meeting room of the Institute. The list of the members present in the meeting is appended at Annexure-A.

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, अध्यक्ष की अनुमति से संस्थान के सहायक निदेशक [राभा] द्वारा बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा प्रारंभ की गई जो निम्नवत है / At the outset, the Chairman extended warm welcome to all the members present in the meeting. Thereafter, item-wise agenda was taken up for discussion by the Assistant Director (OL) of this Institute which is as given below:

मद सं/Item No.1: संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 110वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि / Confirmation of minutes of the 110th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute.

समिति को यह संसूचित किया गया कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 110वीं बैठक की कार्यवृत्त तैयार कर सभी सदस्यों के बीच परिचालित कराए गए। परंतु किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस दौरान अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को सहर्ष आमंत्रित किया गया कि वे पिछली बैठक पर अपनी टिप्पणी व सुझाव, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत्त को पुष्ट माना गया। It was apprised to the committee that copies of minutes of the 110th meeting of the Official Language Implementation Committee of this Institute were circulated among the members but no comments were received. The Chairman, during the course of discussion gladly invited all the members to offer their comments / suggestions, if any, on the minutes of the last meeting. Since, no comments were received from anyone of the members, minutes was treated as confirmed.

मद सं/Item No.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई। Action taken on the decisions made during the last meeting.

संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ द्विभाषी में किए जाने पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ तदनुसार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, फार्म, प्रपत्र आदि भी द्विभाषी में तैयार करार नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी करते हुए हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी प्रभागीय प्रमुखों तथा अनुभागीय प्रधानों व प्रभारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने अनुभागों में राजभाषा प्रावधानों एवं केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त तत्संबंधी

आदेशों व निदेशों का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन आगे भी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग में कोई भी उल्लंघन न होने पाए।

During the course of discussion upon making entries in all service books either in Hindi or in bilingual form, It was observed that necessary entries are being made in Hindi or bilingual form in the service books available at this institute. Further, full compliance of the Official Language Rule-11 has been ensured by preparing all standard forms, Proforma etc. in bilingual form. In addition to this, letters received in Hindi are also replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction to all the Divisional Heads/In-charges of the section of this Institute to make every possible effort for due compliance of the provisions of Official Language Hindi following the orders/instructions received from Central office, Central Silk Board, Bangalore, Department of Official Language, Ministry of Home affairs. He also added that special attention may be paid on the fact that there should not be any violation in progressive use of Official Language Policy.

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय अनुपालनार्थ लिए गए / During the course of discussion following decisions were taken by the chairman for compliance:

1. धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित सभी कागजतों को द्विभाषी में ही जारी किया जाए। Documents specified under section 3(3) must be issued in Bilingual form only. [कार्रवाई: सभी अनुभाग]
2. सभी सेवा पुस्तिकाओं में हिंदी में मुद्रित स्टॉप के अलावे हस्तलिखित प्रविष्टियाँ भी अनिवार्यतः हिंदी व द्विभाषी लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए। Entries in all service books must be made either in Hindi or in Bilingual in handwritten form in addition to sealing stamp already prepared in Hindi. [कार्रवाई: स्थापना अनुभाग]
3. “रेशम कृषि वार्ता” का हिंदी संस्करण का प्रकाशन माह मई, 2017 में सुनिश्चित किया जाए। Publication of Hindi version of the “Resham Krishi Varta” may be ensured during the month of May, 2017. [कार्रवाई: समिति सदस्य/हिंदी अनुभाग]
4. संस्थान के सभी अधीनस्थ केन्द्रों में प्रत्येक तिमाही के द्वितीय सप्ताह के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन सुनिश्चित कर उक्त की कार्यवृत्त अधोहस्ताक्षरी को अवश्य प्रस्तुत किया जाए। All the nested units of this institute may ensure organization of the Official Language Implementation Committee meeting within second week of the concerned quarter and minutes of the same may be submitted to the undersigned. [कार्रवाई: संस्थान के सभी अधीनस्थ केन्द्र]
5. संस्थान के सभी अनुभागों के मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने हेतु निम्न सदस्यों को नामित करते हुए एक समिति गठित की गई।
 - i) डॉ. दीपेश पंडित, वैज्ञानिक-डी
 - ii) श्री पी. के. प्रसाद, सहायक निदेशक [कंप्यू.]
 - iii) श्री विश्वजीत हलदार, सहायक निदेशक [प्रवले]

A committee consisting of following members were constituted to review the monthly progress report of all the sections of this institute.

- i) Dr. Dipesh Pandit, Scientist - D
- ii) Shri P. K. Prasad, AD [Comp.]
- iii) Shri B. Haladar, AD [A&A]

[कार्रवाई: समिति सदस्य/हिंदी अनुभाग]

6. संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संबंधित तिमाही के प्रथम माह के दौरान अनिवार्यतः आयोजित किया जाना आगे भी जारी रखा जाए। Organization of OLIC meeting of this institute during the first month of the each and every quarter must be continued in future also.
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]
7. राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग व संबंधित विषयों पर संस्थान के पदधारियों हेतु एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक तिमाही के द्वितीय माह के दौरान किया जाए। A full day Hindi Workshop with regard to uses of Official Language Hindi or allied subjects must be organized for the officials of this Institute during second month of the each and every quarter.
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]
8. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा आगे भी प्रस्तुत किया जाए। Comparative progress report regarding Hindi correspondence made by the nested Units of this Institute should also be placed for the review in the ensuing meeting.
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]
9. संस्थान के अधिकारियों/पदधारियों के हिंदी प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर प्वाइंट अद्यतन रखते हुए शेष बचे पदधारियों को प्रशिक्षण हेतु अगले सत्र में नामित किया जाए। To maintain the Up-to-date roster point regarding Hindi Training of the Officers and Staff of this Institute and remaining officials must be nominated for the same during the ensuing session.
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]
10. यह भी निर्णय लिया गया कि अविके, इम्फाल, रंगपो व दीमापुर "ग" क्षेत्र में कम से कम 70% पत्राचार हिंदी व द्विभाषी में किया जाना अवश्य सुनिश्चित किया जाए। It was also decided that REC, Imphal, Rangpo & Dimapur must ensure that minimum 70% of their transactions are made either in Hindi or in bilingual form.
[कार्रवाई: संबंधित केन्द्र]
11. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के उपरांत 7 दिन के भीतर अनिवार्यतया इस संस्थान को प्रस्तुत किया जाए तथा प्रगति रिपोर्ट की नियमित समीक्षा कर उनकी उपलब्धियों एवं कमियों को अवश्य दर्शाया जाए। All nested units should ensure submission of their quarterly progress report regarding progressive use of Hindi within 7 days after completion of the concerned quarter and same may be reviewed regularly and their achievements/ short-comings should also be highlighted .
[कार्रवाई: सभी अधीनस्थ केन्द्र]
12. संस्थान के सभी अनुभागों द्वारा अपना अधिकाधिक टिप्पण आदि हिंदी व द्विभाषी में लिखा जाए। All sections of this institute may ensure to write their maximum no. noting etc. either in Hindi or in bilingual form.
[कार्रवाई: सभी अनुभाग]

मद सं/Item No.3: संस्थान के अनुभागों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the monthly progress report regarding progressive use of Hindi of this institute:

संस्थान के विभिन्न अनुभागों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सभी अनुभाग द्वारा हिंदी पत्राचार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार करने के अतिरिक्त रबड़ की मुहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, मानक फार्म व प्रपत्र आदि को द्विभाषी में तैयार कर राजभाषा नीति एवं इसके प्रावधानों

के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी को इन प्रावधानों के अनुपालन पर सम्यक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सलाह दी गई कि वे अनुभागों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे नैमिक प्रकृति के पत्रादि को द्विभाषी में तैयार करा कर जारी किया जाना सुनिश्चित करें ताकि हिंदी पत्राचार की प्रतिशत में आगे और भी वृद्धि हो सके। During the course of reviewing monthly report of the different sections of this institute, it was observed that all sections are transacting their Hindi correspondence as per the target prescribed by the Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language and letters received in Hindi are replied in Hindi only. In addition to this, full compliance of the Official Language Policy has been ensured by preparing all Rubber Seals, Name-Plate, Notice-Board, and Standard Forms in bilingual form. The Chairman, during the course of discussion laid emphasis on necessity of paying special attention upon due compliance of the said provisions and advised all the sectional Heads/In-charges to get prepared their letters of routine nature in bilingual form so that there can be more enhancement in the percentage of Hindi correspondence.

[कार्रवाई: सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.4: संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा/Review of the quarterly progress report of this institute:

संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सभी केन्द्रों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधीनस्थ केन्द्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य तौर पर किया जाए ताकि सभी केन्द्रों में राजभाषा प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। While reviewing quarterly report of the nested units of this institute, it was observed that due compliance of the section 3(3) Rule-11 of the Official Language Act has been ensured at all the sub-ordinate centres. Further, letters received in Hindi are also being replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction that quarterly progress report of each and every nested unit should invariably be reviewed so that fully compliance of the provisions of Official Language may be ensured at all the nested units of the Institute.


[कार्रवाई: सभी अधीनस्थ केन्द्र/हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.5: अध्यक्ष महोदया की अनुमति से कोई अन्य विषय:/Any other subject with the permission of the chairman.

संघ की राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम, 2017-2018 में निहित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), नियम-5 सहित संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली में उल्लेखित विविध मदों के पूर्णरूपेण कार्यान्वयन पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी अनुभागीय प्रधानों/प्रभारियों को अपने-अपने अनुभागों में उक्त प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। The Chairman, while making discussion upon fully implementation of the provisions contained in "Annual Programme-2017-18" for transacting the official work of the union in Hindi, Section 3(3), Rule-5 along with various items mentioned in the questionnaire of Committee of Parliament on Official Language advised to all the sectional Heads/In-charges to take necessary steps to ensure effective compliance of the said provisions in their sections.

[कार्रवाई: सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग]

तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदया के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गई। / Thereafter, meeting concluded with a vote of thanks to the chairman.


[डॉ. कणिका त्रिवेदी/ Dr. Kanika Trivedy]

निदेशक / Director

दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को आयोजित संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 111 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची/ List of members present in the 111th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 27th April, 2017.

क्र.सं. Sl.No.	नाम/Name	पदनाम/Designation	
1.	डॉ. कणिका त्रिवेदी / Dr. Kanika Trivedy	निदेशक / Director	अध्यक्ष/Chairman
2.	श्रीमती सी. माजी / Smt. C. Maji	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
3.	डॉ. वी. लक्ष्मणन / Dr. V. Lakshmanan	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
4.	डॉ. आर. बनर्जी / Dr. R. Banerjee	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
5.	डॉ. एस. चट्टोपाध्याय / Dr. S. Chattopadhyay	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
6.	श्री एन. बी. कर / Shri N. B. Kar	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
7.	डॉ. दीपेश पंडित / Dr. Dipesh Pandit	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
8.	डॉ. तपूती दत्त विश्वास / Dr. T. Dutta Biswas	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
9.	श्री देबोजीत दास / Dr. D. Das	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
10.	श्री जी. सी. दास / Shri G. C. Das	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
11.	डॉ. एस. सरकार / Dr. S. Sarkar	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
12.	श्री आर. बी. चौधरी / Shri R. B. Chaudhary	सहा. निदे. / AD [OL]	आयोजक/Convener
13.	श्री पी. के. प्रसाद / Shri P. K. Prasad	सहा. निदे. / AD [Comp.]	सदस्य/Member
14.	श्री सनातन टियाडी / Shri S. Tiyadi	सहा. निदे. / AD [A&A]	सदस्य/Member
15.	श्री बी. हलदार / Shri B. Haldhar	सहा. निदे. / AD [A&A]	सदस्य/Member
16.	श्री जी. आर. वेंकट रेड्डी / Shri G. R. Venkat Reddy	सहा.कार्य.अभि./ AEE	सदस्य/Member
17.	श्री के. राहुल / Shri. K. Rahul	वैज्ञानिक - बी/ Sc.-B	सदस्य/Member
18.	डॉ. वी. विजय / Dr. V. Vijay	वैज्ञानिक - बी/ Sc.-B	सदस्य/Member
19.	डॉ. आर. महेश / Dr. R. Mahesh	वैज्ञानिक - बी/ Sc.-B	सदस्य/Member
20.	श्री एन. चन्द्रकांत / Shri N. Chandrakanth	वैज्ञानिक - बी/ Sc.-B	सदस्य/Member
21.	श्री चंदन कुमार साव / Shri C. K. Shaw	क.अ.(हिंदी)/Jr.Tr.(Hindi)	सदस्य/Member
22.	श्री मंगल साहा / Shri Mangal Saha	त.स. / T.A.	सदस्य/Member
23.	श्री संचयन चक्रवर्ती / Shri S. Chakraborty	त.स. / T.A.	सदस्य/Member
24.	श्री दिब्येन्दु सरकार / Shri S. Sarkar	त.स. / T.A.	सदस्य/Member
25.	श्री बिपद कर्मकार / Shri Bipad Karmakar	त.स. / T.A.	सदस्य/Member
26.	श्री सैय्यद बदरुदोजा / Shri Sayyed Badrudoja	त.स. / T.A.	सदस्य/Member